जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./जोन–09/2022/डी– 380 दिनांकः–24 01 2023

सार्वजनिक सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के नाम हस्तान्तरण / फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	89	233.33 वर्ग गज	पैराडाईज	राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री विश्मीर दयाल	पुष्पा देवी पत्नी श्री विश्म्भर दयाल व राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री विश्म्भर दयाल	रजिस्टर्ड लीजडीड, अपंजिकृत वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावें।

उपायुक्त जोन–9,
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल { abusufiyan.ras@gmail.com}

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क (8) के अन्तर्गत

संख्या 143 दिनांक 18/1/2023 25/1/23

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **निजी खातेदारी.** की योजना **भूरा पटेल नगर 'बी '** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
हीरापुरा तहसील–जयपुर	89 90 91 92 93	0.0885 0.1138 0.0759 0.0253 0.3667	1. किशना पुत्र जयनारायण हिस्सा – 1/2 जाति– अहीर (यादव) सा देह खातेदार 2. भूरा पुत्र जयनारायण हिस्सा – 1/2 जाति– अहीर (यादव) सा देह खातेदार
हीरापुरा तहसील–जयपुर	94	0.0506	1. नाथू पुत्र रामू हिस्सा – 1/2 जाति– अहीर (यादव) सा देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पी बी–एसएफ–218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक...को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

—Sd—

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. तहसीलदार जयपुर

उपायुक्त जोन–7 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

क्रमांकः जविप्रा / जोन–7 / 2022 / डी– 182   दिनांक 24/1/2023

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

जयपुर क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नं. 16ए, गिरनार कॉलोनी के आवासीय भू.स. 02 क्षेत्रफल 450.00 वर्गगज की लीजडीड श्री कमलेश खुटेटा पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र के पक्ष में क्रमांक 731 दिनांक 29.06.1995 को जारी की गई थी। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान किये जाने पर जविप्रा द्वारा पत्र क्रमांक डी–2868 दिनांक 23.08.2017 के द्वारा मैसर्स वेदान्ग बिल्डकॉन प्रा.लि. जरिये निदेशक श्रीमती नम्रता जैन पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश जैन के नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया जा चुका है। मैसर्स वेदान्ग बिल्डकॉन प्रा.लि. जरिये निदेशक श्रीमती नम्रता जैन पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश जैन द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर / जोनल विकास योजना में दर्शित मिश्रित (30 मीटर गहराई तक) भू–उपयोग के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर भू.सं. 29, दक्षिण दिशा की ओर 80 फीट चौडी रोड़, पूर्वी दिशा की ओर भू.सं. 03 एवं पश्चिम दिशा की ओर भूखण्ड संख्या 01 स्थित है। मास्टर विकास योजना–2025 के अनुसार भूखण्ड के दक्षिण दिशा में स्थित सड़क गांधीपथ (जिस पर भूखण्ड स्थित है) की चौडाई 30 मीटर निर्धारित है। अतः 30 मीटर सड़क के मार्गाधिकार में आनेवाली भूमि को निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नं. 16ए, गिरनार कॉलोनी के आवासीय भू.स. 02 क्षेत्रफल 450.00 वर्गगज में से मार्गाधिकार में आने वाली भूमि को छोडकर भूखण्ड के शेष क्षेत्रफल हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव को दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर आपत्ति / सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त, जोन–07 को प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक .... को जारी की गयी।

19/1/23

सचिव

जविप्रा, जयपुर।

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा.7 / 2022 / डी– 177 दिनांकः 23/1/2023

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे /अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र स	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा,जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	संजय यादव	संजय यादव	28	126.06	खोरामीणा	तीजा नगर विस्तार	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र , क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड
2	संजय यादव	संजय यादव	29	124.04	खोरामीणा	तीजा नगर विस्तार	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र , क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड

उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर–219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

....

क्रमांक ज.वि.प्रा. / जोन–7 / 2022 / डी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2023 / डी– 172 दिनांक 23/1/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना /	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती नेहा केड़िया पत्नी श्री हर्ष कुमार केडिया	श्रीमती कृष्णा देवी केडिया पत्नी श्री कान्तीलाल केडिया	डी–42	372.22 व.ग.	मोती भवन गृ. नि.स.स.	हनुमान नगर–डी	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा	पंजीकृत वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

Sd/-
उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त, जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2023 / डी– 169 दिनांक 23/1/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना /	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रणवीर सिंह चौधरी पुत्र श्री चन्द्राराम चौधरी	श्री चरणजीत सिंह पुत्र सरदार हरनाम सिंह	216	391 व. ग.	माधव गृ.नि.स. स.	गोम डिफेन्स	फ्री होल्ड पट्टा	पंजीकृत विक्रय पत्र एवं ऑनलाईन गुमशुदगी रिपोर्ट

Sd/-
उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-7 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः—जविप्रा / उपा. / जोन—13 / 2022 / डी—178 दिनांकः— 24/1/23

जनसम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा जयपुर

विषयः—राजस्व ग्राम—चन्दवाजी, तहसील—आमर में जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 132, 136, 137, 133, 134 / 174, 143, 144 एवं राजस्व ग्राम—जयसिंहनगर, तहसील—आमेर के खसरा नम्बर 239 / 368, 246, 247, 238, 250 का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जविप्रा स्वामित्व की भूमि राजस्व ग्राम—चन्दवाजी, तहसील—आमेर के खसरा नं. 132, 136, 137, 133, 134 / 174, 143, 144 एवं राजस्व ग्राम—जयसिंहनगर, तहसील—आमेर के खसरा नम्बर 239 / 368, 246, 247, 238, 250 का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर आपत्ति / सुझाव प्राप्त किये जाने है। अतः संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त जोन—13,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर—302 004
दुरभाष91—141—2569795 : ईपीबीएक्स — +91—141—2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स—+91—141—2574555

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./जोन–13/2022/डी– 163 दिनांकः– 23-01-23

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया हैं :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीजडीड/फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	41 अनुमोदित मानचित्र अनुसार भूखण्ड संख्या 38ए	200.00 व.ग.	श्री श्रवण कुमार लील	भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति	अंजनी विहार	पंजीकृत विक्रय पत्र एवं मानचित्र में भूखण्ड संख्या 38ए के स्थान पर भूखण्ड संख्या 41 के संशोधन के नामहस्तांतरण/ लीजहोल्ड लीजडीड
2.	41ए अनुमोदित मानचित्र अनुसार भूखण्ड संख्या 38ए	200.00 व.ग.	श्रीमती हंसा चौधरी	भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति	अंजनी विहार	पंजीकृत विक्रय पत्र एवं मानचित्र में भूखण्ड संख्या 38ए के स्थान पर भूखण्ड संख्या 41ए के संशोधन के नामहस्तांतरण/ लीजहोल्ड लीजडीड

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. ~~परामर्शी~~ (जनसम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है। (अधिकारी)
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः—ज.वि.प्रा./उपा./जोन—13/2023/डी—182 दिनांकः— 24/1/23

परामर्शी (जनसम्पर्क), अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

विषयः—राजस्व ग्राम—चौमू, तहसील—चौमू के खसरा नम्बर 8588/8586 रकबा 0.1046 हेक्टेयर भूमि की **व्यावसायिक प्रयोजनार्थ** 90ए की कार्यवाही हेतु जारी लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व ग्राम—चौमू, तहसील—चौमू के खसरा नम्बर 8588/8586 रकबा 0.1046 हेक्टेयर भूमि की **व्यावसायिक प्रयोजनार्थ** धारा 90—ए की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन के क्रम में आपत्ति/सुझाव हेतु लोक सूचना प्रकाशित करवायी जानी है जिसका प्रकाशन आपके स्तर से दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में करवाया जाना है।

अतः आप उक्त लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की दो—दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करावें।

सलंग्नः—लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन—13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–LU2012/JDA/2021-22/102347/डी-182 दिनांकः– 24/1/23

लोक सूचना

श्री श्याम लाल पुत्र श्री घीसाराम हिस्सा–पूर्ण, जाति–जाट, सा. देह खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **गैर–कृषिक** उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :–

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम–चौमू, तहसील–चौमू जिला–जयपुर	श्यामलाल पुत्र घीसाराम, हिस्सा–पूर्ण, जाति–जाट, सा. देह खातेदार	8588/8586	0.1046

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24/1/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–13 / 2023 / डी– 179 **दिनांकः–** 24/1/23

[illegible] (जनसम्पर्क), अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

विषयः–राजस्व ग्राम–चौमू, तहसील–चौमू के खसरा नम्बर 8589 / 8586 रकबा 0.0662 हेक्टेयर भूमि की **व्यावसायिक प्रयोजनार्थ** 90ए की कार्यवाही हेतु जारी लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व ग्राम–चौमू, तहसील–चौमू के खसरा नम्बर 8589 / 8586 रकबा 0.0662 हेक्टेयर भूमि की **व्यावसायिक प्रयोजनार्थ** धारा 90–ए की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन के क्रम में आपत्ति / सुझाव हेतु लोक सूचना प्रकाशित करवायी जानी है जिसका प्रकाशन आपके स्तर से दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में करवाया जाना है।

अतः आप उक्त लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की दो–दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करावें।

सलंग्नः–लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–LU2012/JDA/2021-22/102347 (S)-179 **दिनांकः**– 24/1/23

लोक सूचना

श्री रमेश कुमार चौधरी पुत्र श्री नानक चन्द चौधरी हिस्सा 1/2 जाति–जाट सा. टोडावता की ढाणी, राधास्वामी बाग, जैतपुरा, तह–चौमू खातेदार एवं श्री लक्ष्मीनाराण टोडावता पुत्र श्री चन्दाराम टोडावता हिस्सा 1/2 जाति–जाट सा. राधास्वामी बाग, जैतपुरा, तह–चौमू खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **गैर–कृषिक** उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :–

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम–चौमू, तहसील–चौमू जिला–जयपुर	रमेश कुमार चौधरी पुत्र नानक चन्द चौधरी हिस्सा–1/2 जाति–जाट सा. टोडावता की ढाणी, राधास्वामी बाग, जैतपुरा, तह–चौमू खातेदार एवं लक्ष्मीनाराण टोडावता पुत्र चन्दाराम टोडावता हिस्सा–1/2 जाति–जाट सा. राधास्वामी बाग, जैतपुरा, तह–चौमू खातेदार	8589/8586	0.0662

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ...24/1/23... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषयः– लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम रामपुरा बास गोनेर, तहसील चाकसू, के संलग्न खसरानुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न – 1

उपायुक्त जोन-14
जोन-14, जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांकः एफ/ज.वि.प्रा./जोन–14/2023/डी–207
दिनांकः–24-1-23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दुरभाष – +91–141–2574798 : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स–+91–141–2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102364 दिनांक: 24/01/2023

लोक सूचना

श्री **RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHOIRZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI** पुत्र श्री **GANESH RAM SAINI** जाति **SAINI** निवासी **WARD 17, DHANI DARJAY WALI, SHAHPURA, JAIPUR, RAJASTHAN 303103**
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	659	400	0.04
2.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	718/655	2266	0.2266
3.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	721/654	13900	1.39
4.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	723/656	3400	0.34
5.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND	726/652	220	0.022

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2022/डी– 169 दिनांक 25-1-23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री लाल चन्द पुत्र श्री हरपाल दास	श्री प्रेम मोहन कासलीवाल पुत्र श्री मन मोहन	ईई– 42	–	जविप्रा की विद्याधर नगर योजना	जविप्रा की विद्याधर नगर योजना	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हक त्याग इत्यादि

उपायुक्त जोन–2
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2023/डी– 211 दिनांक 25.1.23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री चौगान मल मीणा पुत्र श्री झुंथाराम मीणा	श्री कन्हैयालाल व लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रघुनाथ	29	–	निजी खातेदारी खसरा नम्बर 82, 83, 84, 86, 94, 95 ग्राम बदनपुरा तहसील जयपुर	मीणा कॉलोनी	फ्री होल्ड पट्टा	अंपजीकृत विक्रय, लीज डीड (कलेक्टर द्वारा जारी), इत्यादि
2	श्रीमती शमीम पत्नी श्री मोईनुद्दीन बाबू भाई	मोईनुद्दीन पुत्र श्री निजामुद्दीन (गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जारी आवंटन पत्रानुसार)	245	300.00 व.ग.	श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति	गोविन्द नगर पूर्व	नाम हस्तान्तरण फ्री होल्ड पट्टा	गृ.नि.स.स. द्वारा जारी आवंटन पत्र, रसीद इकरारनामा, वसीयत, उपहार पत्र इत्यादि
3	श्रीमती निर्मला काबरा पत्नी श्री नारायण प्रसाद काबरा	श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री रमेश कुमार शर्मा (गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जारी आवंटन पत्रानुसार)	26	290.00 व.ग.	शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति	जमुना कॉलोनी विस्तार	नाम हस्तान्तरण फ्री होल्ड पट्टा	गृ.नि.स.स. द्वारा जारी आवंटन पत्र, रसीद अपंजीकृत मुख्त्यारनामाआम, इकरारनामा, इत्यादि
4	श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री गोपाल लाल	श्री कन्हैयालाल व लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रघुनाथ	35	–	निजी खातेदारी खसरा नम्बर 82, 83, 84, 86, 94, 95 ग्राम बदनपुरा तहसील जयपुर	मीणा कॉलोनी	फ्री होल्ड पट्टा	अंपजीकृत इकरानामा, विक्रय मुख्त्यानामाआम इत्यादि

उपायुक्त जोन–2

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष–{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–13 / 2023 / डी– 178 दिनांकः– 24/1/23

सार्वजनिक विज्ञप्ति / आपत्ति सुझाव

राजस्व ग्राम–चन्दवाजी, तहसील–आमेर में जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 132, 136, 137, 133, 134 / 174, 143, 144 एवं राजस्व ग्राम–जयसिंहनगर, तहसील–आमेर के खसरा नम्बर 239 / 368, 246, 247, 238, 250 पर योजना सृजन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की बीपीसी–एलपी की 325वीं बैठक दिनांक 12.10.2022 में **प्रस्तावित योजना के उत्तरी ओर स्थित आबादी क्षेत्र के भाग में मौके पर विद्यमान सडक को 12.00 मीटर चौडाई में (बिन्दु ए से बी) एवं बिन्दु बी से सी को जोन द्वारा प्रस्ताव अनुसार 24.00 मीटर एवं बिन्दु "डी" से "ई" एवं "ई" से "एफ" को 24.00 मीटर चौडाई में रखे जाने का निर्णय लिया गया है।** उक्त प्रस्तावित सडको में आ रही भूमियों का विवरण निम्नानुसार है:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं	किस्म
तहसील–आमेर जिला–जयपुर	चन्दवाजी	134	गैर0मु0 रास्ता
		134 / 170	बारानी–2
		134 / 171	बारानी–2
		143	चारागाह
		104	बारानी–ए
		105	बारानी–2
		126	बारानी–2
		127	बारानी–2
		128	चाही–3
		133	चारागाह
		137	चारागाह
		134 / 174	चारागाह
तहसील–आमेर जिला–जयपुर	जससिंह नगर	257	बारानी–2
		258	चाही–3
		270	चाही–3, जाव–3
		274	चाही–3, जाव–3
		275	चाही–3, जाव–3
		383 / 211	बारानी–1
		211	आवासीय प्रयोजनार्थ
		218	बारानी–2
		276	बारानी–2
		218 / 365	बारानी–2
		219	बारानी–1
		213	बारानी–1
		214	बारानी–1

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करने एवं शेष सडको के मार्गाधिकार हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में जविप्रा अधिनियम–1982 की धारा 25 के तहत आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करते हुए यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी को उक्त खसरा नम्बरान् के संबंध में कोई आपत्ति / सुझाव हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय अथवा उपायुक्त जोन–13 के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर के अधीन आज 24/1/23 को जारी की गयी।

19/1/23
(उज्ज्वल राठौड़)
सचिव
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा आवासीय फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लीजधारक/मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती भावना अग्रवाल	श्रीमती भावना अग्रवाल	ई-131	136 वर्ग मीटर	जयपुर विकास प्राधिकरण	गोविन्दपुरा, करधनी	फ्री होल्ड पट्टा	पूर्व जारी आवंटन पत्र दिनांक 04.06.1999, जविप्रा में राशि जमा की रसीद आदि के आधार पर भूखण्ड को रिअलोट कर फ्री होल्ड पट्टा जारी करने बाबत्।

उक्त दस्तावेजात् के आधार पर उक्त भूखण्ड का पट्टा आवेदक के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन-7,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2023/डी- 198
दिनांक :- 25/1/2023

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/उपा/जोन–11/उपा–11/2022/डी– 252 **दिनांक** 25/1/23

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **आवेदक श्री बाबूलाल यादव पुत्र श्री झूंथाराम यादव निवासी–ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर** द्वारा रिंग रोड परियोजना के ग्राम मुहाना के भूखण्ड संख्या– 11/ID/134 क्षेत्रफल 1250.00 वर्गमीटर का मिश्रित भू उपयोग में लीजडीड जारी किये जाने के पश्चात वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम रिंग रोड परियोजना के ग्राम मुहाना के भूखण्ड संख्या– 11/ID/134 क्षेत्रफल 1250.00 वर्गमीटर का मिश्रित भू उपयोग की लीजडीड श्री बालूराम पुत्र श्री महादेव के पक्ष में लीजडीड क्रमांक 197 दिनांक 14.10.2014 से जारी किये जाने के पश्चात रजि. विक्रय पत्र के आधार पर श्री बाबूलाल यादव पुत्र श्री झुंथाराम यादव के पक्ष में क्रमांक 2365 दिनांक 07.9.2022 द्वारा जारी की गयी है **थी**।

अतः उक्त भूमि का मिश्रित भू उपयोग से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में एकल पट्टा जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25/1/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।
2. **श्री बाबूलाल यादव पुत्र श्री झूंथाराम यादव निवासी–ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।**

प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा./जोन–12/2023/डी–5455 दिनांक 25-1-2023

–:आम सूचना:–

श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना बालाजी विहार–33 के सदस्यों द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत योजना के नियमन के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त योजना जिन खसरा नम्बरान पर सृजित है, का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	ग्राम/तहसील	खसरा नं.	रकबा (हैक्टे./व.मी)	सम्पूर्ण/आंशिक	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	हाथोज/जयपुर, कालवाड	446	6 बीघा 17बिस्वा	सम्पूर्ण/ आंशिक	जयपुर विकास प्राधिकरण

उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्नलिखित है–

क.स.	नाम संदस्य मय पिता/पति	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड की साईज (वर्गगज)
1	सत्यवीर सिंह पुत्र मूला सिंह	9	137.5
2	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	10	
3	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	11	
4	भंवर कंवर पत्नी श्री नन्द भंवर सिंह राजावत	12	100.00
5	धीरज शर्मा पुत्र श्री सुवालाल	13	100.00
6	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	14	
7	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	15	
8	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	16	
9	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	17	
10	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	18	
11	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	19	
12	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	20	
13	राज कंवर पत्नी झब्बर सिंह	21	100.00
14	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	22	
15	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	23	
16	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	24	
17	सुनील कुमार जांखड पुत्र भोलू राम जांखडे	25	100.00
18	अशोक सिंह शेखावत धुल सिंह शेखावत	26	100.00
19	जले सिंह यादव पुत्र श्री मातादीन यादव	27	100.00
20	सराजुदीन मनियार, नूर मोहम्मद मनियार	28	100.00
21	संतोष कंवर राजावत पत्नी श्री करण सिंह	29	67.2
22	पूजा शर्मा पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा	29ए	67.5

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696: Fax - +91-141-2574555

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

23	परीता कंवर	29बी	
24	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	30	
25	सोहनी देवी पत्नी श्री ज्ञान प्रकाश चौधरी	31	100.00
26	सोहनी देवी पत्नी श्री ज्ञान प्रकाश चौधरी	32	100.00
27	श्रवण लाल पुत्र श्योराम कुलहरी	33	100.00
28	धर्मवीर चौधरी पुत्र दानाराम चौधरी	34	100.00
29	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	35	
30	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	36	
31	महावीर सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह	37	100.00
32	सीता राम धायल पुत्र नारायण लाल धायल	38	100.00
33	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	39	
34	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	40	
35	सीताराम पुत्र कानाराम कुमावत	41	100.00
36	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	42	
37	सीताराम जांगिड	43	100.00
38	सीताराम जांगिड	44	100.00
39	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	45	
40	मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री जुगल किशोर शर्मा	46	100.00
41	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	47	
42	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	48	
43	रामेश्वर लाल पुत्र हरदेवाराम	49	137.5
44	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	50	
45	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	51	
46	नन्द कंवर पत्नी रेवत सिंह	52	137.5
47	श्यामा देवी पत्नी श्री बाबू लाल सैनी	53	183.5
48	सुमन कंवर पत्नी श्री श्रवण सिंह	54	100.00
49	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	55	
50	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	56	
51	सुरेश चन्द गुप्ता	57	100.00
52	सुरेश चन्द गुप्ता	58	100.00
53	प्रहलाद सिंह पुत्र स्व.मोती सिंह	59	100.00
54	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	60	
55	अशोक सिंह पुत्र भंवर सिंह	61	100.00
56	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	62	
57	राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा	63	100.00

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

58	मन कुमारी पत्नी श्री कालू सिंह	64	100.00
59	महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र	65	100.00
60	अभय सिंह	66	100.00
61	सुमन लता पत्नी बजरंग लाल शर्मा	67	100.00
62	लक्ष्मी देवी पत्नी श्री सरबजीत सिंह	68	100.00
63	नानू राम जाट पुत्र श्री बालूराम जाट	69	100.00
64	सोनिया पत्नी श्री नानूराज जाट	70	100.00
65	गोविन्द राम पुत्र श्री मानाराम	71	225.00
66	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	72	
67	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	73	
68	सीताराम सैनी पुत्र श्री नाथूराम सैनी	74	183.3
69	सीताराम सैनी पुत्र श्री नाथूराम सैनी	75	183.3
70	कमल यादव पुत्र श्री शेर सिंह यादव	76	183.3
71	सुभाष कुलहरी पुत्र रामू राम कुलहरी	77	183.3
72	लक्ष्मण कुलहरी पुत्र श्री रामू राम कुलहरी	78	183.3
73	राजेश कुलहरी पुत्र श्री देवाराम	79	183.3
74	द्वारिका प्रसाद पुत्र जगन्नाथ प्रसाद शर्मा	80	152.77
75	संजू कंवर पत्नी श्री विरेन्द्र सिंह	81	76.00
76	चांद कंवर पत्नी श्री पूरण सिंह	81	51.94
77	मोती लाल चौधरी पुत्र लादूराम चौधरी	81	61.00
78	मधुबाला पत्नी श्री राहुल चौधरी	82	75.00
79	जगदीश प्रसाद पुत्र मांगुराम	82ए	100.00
80	हुलासी देवी पत्नी श्री रामोतार	82बी	57.00
81	सुनीता यादव पत्नी श्री उदय सिंह	83	96.00
82	मेवाराम कुमावत पुत्र नरसीराम कुमावत	84	96.6
83	लक्ष्मी कोटिया पत्नी श्री नन्द किशोर कोटिया	84ए	97.5
84	छोटी देवी पत्नी श्री नारायण लाल	85	152.4
85	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	86	
86	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	87	
87	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	88	
88	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	89	
89	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	90	
90	रिकॉर्ड उपलब्ध नही	91	
91	कौशल्या शेखावत पत्नी श्री गजराज सिंह शेखावत	92	102.7
92	चन्द्राराम पुत्र लालाराम	93	122.00

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

93	महेन्द्र सिंह भोखावत पुत्र श्री गुलाब सिंह भोखावत	94	75.00
94	कुलदीप सिंह भोखावत पुत्र श्री पूरण सिंह भोखावत	94ए	75.00
95	सुमन वर्मा पत्नी श्री रामगोपाल बुनकर	95	100.00
96	बाबूलाल पुत्र श्री नानू राम सैनी	96	288.00

अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियो की सूची से सम्बन्धित, अगर किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन पश्चात् 7 (सात) दिवस में, कार्यालय जोन–12 जविप्रा, जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वंय की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा स्थिति में उक्त खसरो में स्थित भूमि में विकसित योजना की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/ प्रतिस्थापन/ आवंटन/ नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. अति. आयुक्त (पूर्व) महोदय, जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा.7 / 2022 / डी– 91

दिनांकः – 12.1.23
25/1/23

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे /अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा,जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	मोहन सिंह राडौड	छोटालाल	148 व 171	155.00	मीनावाला	पवनपुत्र– एच	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र , क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड , विक्रय– पत्र
2	ललिता	कुसुम अरोडा	110 ए	100.00	मीनावाला	पवनपुत्र– एच	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र , क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड , शपथ–पत्र
3	हरिसिंह पूनिया	हरिसिंह पूनिया	41	353.3	दी कृष्णा कॉ. हा. सा.लि.	के–5–सी	लीजडीड	साईट प्लान, आंवटन पत्र , क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड , शपथ–पत्र, नक्शा

उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर–219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक ज.वि.प्रा. / जोन–7 / 2022 / डी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा / उपा. / जोन–5 / 2022 / डी– 211 दिनांक– 25-1-23

आम सूचना

सचिव, मंगल विहार विस्तार नागरिक विकास समिति पता–60, मंगल विहार विस्तार गोपालपुरा बाईपास, जयपुर द्वारा सिवायचक गैर मुमकिन आबादी भूमि पर स्थित योजना–मंगल विहार विस्तार, गोपालपुरा बाईपास का नियमन करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के साथ योजना की सदस्यता सूची एवं योजना का पी.टी. सर्वे मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। पी.टी. सर्वे मानचित्र अनुसार उक्त योजना–ग्राम–देवरी, तहसील–जयपुर के खसरा नं.–346, 347 व 348 की भूमि पर सृजित है। उक्त खसरा नम्बर की 90–बी होकर वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की खातेदारी में दर्ज है। उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	भुखण्डधारी का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या
1.	श्री कैलाश चन्द सैनी /श्री भवंर लाल सैनी	1
2.	श्रीमती मीना देवी/श्री नंदकिशोर	2
3.	श्रीमती कल्पना भरद्वाज/श्री गिरीश चन्द भारद्वाज	3
4.	श्रीमती सूरज देवी/ श्री मदन देवत	4
5.	श्री देवी नारायण/श्री लक्ष्मी नारायण	5
6.	श्रीमती महिमा वोनमल/श्री संजय वोनमल	6
7.	श्री विरेन्द्र सिंह वैद/श्री पूनम सिंह वैद	7
8.	श्रीमती मदन बाई सुरावा/श्री पारस चन्द सुरावा	7–ए
9.	श्रीमती मीना बसंल/श्री अजीत बसंल	8
10.	श्रीमती मंजू शर्मा/श्री दिनेश शर्मा	9
11.	श्रीमती गायत्री देवी शर्मा/श्री शंकर लाल शर्मा	10
12.	श्रीमती कुमुद त्रिपाठी/श्री शिवचरण नाथ त्रिपाठी	11
13.	श्री सुप्यार कंवर/श्री राजेन्द्र रोजरोलिया	12
14.	श्रीमती रेणुका मालपानी/श्री हनुमान प्रसाद	13
15.	श्री जानकी देवी/श्री जगदीश मालपानी	14
16.	श्री मदन लाल/श्री सुनंद लाल	15
17.	श्री सुमरण सिंह/श्री यादराम	16
18.	श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल/श्री गोविन्द नारायण	17
19.	श्री कु. कमलेश/श्री मन्नूमल जयंत	18
20.	श्री कु. कमलेश/श्री मन्नूमल जयंत	19
21.	श्रीमती मीना देवी/श्री कमल कुमार जैन	20
22.	श्री अरूणा कुमार गोस्वामी/श्री कल्याण दत्त गोस्वामी	21
23.	श्री सत्यनारायण शर्मा/श्री बद्रीनारायण शर्मा	22
24.	श्री महावीर छीपा/श्री बद्रीनारायण शर्मा	23
25.	श्री गिरधारी लाल माहेश्वरी/श्री राधेश्याम	24
26.	श्री राजीव मेहता/श्री जगदीश नारायण मेहता	25
27.	श्री मनोहर सिंह/श्री लक्ष्मण सिंह	26
28.	श्री प्रकाश जोशी/श्री हर्ष नारायण जोशी	27
29	श्री राकेश जोशी/श्री प्रकाश जोशी	28
30.	श्री राकेश जोशी/श्री प्रकाश जोशी	29
31.	श्री मन्जू भिण्डा/श्री अशोक भिण्डा	30
32.	श्री परिणिता भिण्डा/श्री अशोक टंडन	31
33.	श्री रामकिशोर/श्री बद्रीनारायण	32
34.	श्रीमती लता भंडारी/श्री पुष्पराज भंडारी	33
35.	श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा/श्री मोहन लाल	34.
36.	श्रीमती नफीसा/श्री हबीब दुल	35
37.	श्री जितेन्द्र शर्मा/श्री रामकिशोर शर्मा	36
38.	श्रीमती राजकुमारी/श्री ओंकार सिंह	37

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष – (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स – +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8250) : फैक्स – +91-141-2574555
ई-मेल : {dc05jdajaipur@gmail.com}

क्रम संख्या	भुखण्डधारी का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या
39.	श्री गीता शर्मा/श्री सत्यनारायण शर्मा	38
40.	श्रीमती विजय कुमारी शर्मा/श्री दिलीप कुमार	39
41.	श्रीमती ममता शर्मा/श्री सुरेश चन्द्र	40
42.	श्री केसर नाथ/श्री गोविन्द नारायण	41
43.	श्री रामराय शर्मा/श्री बद्रीनारायण शर्मा	42
44.	श्री रामअवतार शर्मा/श्री शंकर लाल	43
45.	श्रीमती उमा सिनसिनवाल/श्री योगेन्द्र सिनसिनवाल	44
46.	श्री सन्तोष कुमार गुप्ता/श्री सूर्य नारायण गुप्ता	45
47.	श्री महेश चन्द/श्री पूरणमल	46
48.	श्री इन्द्राज सिराहीवाल/मंगलराम	47
49.	श्री विकाश वर्मा/श्री राजेश वर्मा	48
50.	श्री सतीश वर्मा/श्री राजेश वर्मा	49
51.	श्रीमती लक्ष्मी देवी/कैलाश सोनी	50
52.	श्री एल.एस.गुप्ता	51
53.	श्री सुरेश खण्डेलवाल/श्री एच.पी खण्डेलवाल	52
54.	श्री उमेश/श्री राधेश्याम	53
55.	श्री एस.पी खण्डेलवाल/श्री एच.सी खण्डेलवाल	54
56.	श्री वैद्यनाथ खण्डेलवाल/श्री केदारनाथ खण्डेलवाल	55
57.	श्रीमती लक्ष्मी देवी/श्री रामअवतार खण्डेलवाल	56
58.	श्री द्रोपती शर्मा/श्री रामअवतार शर्मा	57
59.	श्री हरि ओम अग्रवाल/श्री श्याम लाल अग्रवाल	58
60.	श्रीमती आशा यादव/श्री प्रशांत यादव	59
61.	श्री वासुदेव दवे	60
62.	श्री संजय शर्मा/श्री अनन्त प्रकाश शर्मा	61
63.	श्री संतोष कुमार/श्री श्याम लाल	62
64.	श्री शम्भूदयाल सैनी/श्री भौरी लाल सैनी	63
65.	श्री गोविन्द शर्मा/श्री जगदीश नारायण शर्मा	64
66.	श्री कैलाश नारायण/श्री जी.एन.शर्मा	65

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के तहत उक्त योजना का नियमन शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूण्डधारियों की सूची के संबंध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी व संस्था को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवें अन्यथा नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर भूखण्डधारियों के पक्ष में नियमानुसार नियमन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–5,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/102372 दिनांकः 25/01/2023

लोक सूचना

श्रीमति **SUDESH DHANKHAR** पत्नी श्री **JAGDEEP DHANKHAR** जाति **JAT** निवासी **KAMNA FARM HOUSE NEW SANGANER ROAD JAIPUR** ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मोहनपुरा, सांगानेर (जयपुर)	SUDESH DHANKHAR W/O JAGDEEP DHANKHAR	398/10	2500	0.25
				कुल	**0.25**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है. और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **25-01-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102371 दिनांक: 25/01/2023

लोक सूचना

श्रीमति **SUDESH DHANKHAR** पत्नी श्री **JAGDEEP DHANKHAR** जाति **JAT** निवासी **KAMNA FARM HOUSE NEW SANGANER ROAD JAIPUR**
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मोहनपुरा, सांगानेर (जयपुर)	SUDESH DHANKHAR W/O JAGDEEP DHANKHAR	398/1	500	0.05
				कुल	**0.05**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **25-01-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी–जोन–08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/102370 दिनांकः 25/01/2023

लोक सूचना

श्रीमति **SUDESH DHANKHAR** पत्नी श्री **JAGDEEP DHANKHAR** ज़ाति **JAT** निवासी **KAMNA FARM HOUSE NEW SANGANER ROAD JAIPUR**
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मोहनपुरा, सांगानेर (जयपुर)	SUDESH DHANKHAR W/O JAGDEEP DHANKHAR	398/10	2400	0.24
2.	मोहनपुरा, सांगानेर (जयपुर)	SUDESH DHANKHAR W/O JAGDEEP DHANKHAR	399/5	700	0.07
				कुल	**0.31**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **25-01-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण